

07/11/19

वकील प्रार्थी (उपस्थित) पत्रावली को अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह मुन्सिफली प्रार्थना पत्र नत्कामीन उपखण्ड अधिकारी श्री केशव-चन्द मीना के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। श्री केशव-चन्द मीना SDO भुसावर का स्थानान्तरण किया हुआ है। इसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र प्रभावहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल हुआ है। काठ नरुमील दा.द. हो।

जिला कलक्टर  
भरतपुर (राज.)

